(2)

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

भौरीलाल बनाम राजू वगै०
किस्म मुकदमा : प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर : 199/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.04.2026	पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में वास्ते आदेश आज की तिथि नियत है। प्रार्थी द्वारा इस प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के जरिये ग्राम गणेशपुरा तहसील दौसा स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 969/424 के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। प्रकरण में बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के संबंध में तथ्य निम्न प्रकार हैं :– **प्रथम दृष्टया मामला** : पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी आधार सम्वत् 2071–2074 (वर्ष 2019 से स्थायी) अनुसार ग्राम गणेशपुरा तहसील दौसा स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 969/424 प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना प्रमाणित होता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। **सुविधा का सन्तुलन** : प्रार्थी द्वारा इस पत्रावली से संबंधित दावा पत्रावली में प्रश्नगत आराजी के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी अनुसार ग्राम गणेशपुरा तहसील दौसा स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 969/424 प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना प्रमाणित होता है। अतः सुविधा सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। **अपूर्णीय क्षति** : प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होने के फलस्वरूप अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्धारित किया जाता है। निष्कर्षतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होने के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम गणेशपुरा तहसील दौसा स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 969/424 के मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को इस पत्रावली से संबंधित दावा पत्रावली के निर्णय तक पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं मूल दावा पत्रावली के हमफीता रहे। उपखण्ड अधिकारी दौसा (राज०)	

Scanned with OKEN Scanner